लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2502
उत्तर देने की तारीखः 09.07.2019

सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

2502. श्री रितेश पाण्डेयः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास ऐसे सफाई कर्मचारियों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं जिनकी मृत्यु सीवरों की सफाई से जुड़े स्वास्थ्य एवं सुरक्षा खतरों के कारण हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अध्ययन कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) सीवरों की सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;
(ङ) सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है; और
(च) केन्द्र सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं को कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्यों को क्या निदेश जारी किए गए हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): भारत के उच्चतम न्यायालय ने सफाई कर्मचारी आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य की याचिका सीडब्ल्यूपी सं. 2003 का 583 के संबंध में दिनांक 27.03.2014 के अपने निर्णय में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह निर्देश दिया है कि वे 1993 से हुई सीवरेज संबंधी मृत्यु के सभी मामलों की पहचान करके प्रत्येक मामले में उन व्यक्तियों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का भुगतान करें जिनकी सीवर/सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय मृत्यु हुई है। राज्यों द्वारा सूचित किए गए मामलों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ): "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" (एमएस अधिनियम, 2013) की धारा 36 के तहत, सरकार ने हाथ से मैला उठाने वाले

कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियमावली, 2013" (एमएस नियमावली, 2013) बनाई है, जिसे भारत के राजपत्र में 12.12.2013 को अधिसूचित किया गया था। इस नियमावली के तहत नियोजक के लिए यह अनिवार्य है कि वह उपर्युक्त नियमावली के अंतर्गत यथा विहित सुरक्षा साधन, यंत्र और उपकरण प्रदान करके सफाई कर्मचारी की सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करे।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) नगर निगमों/नगर पालिकाओं तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्य पर रखे गए सफाई कर्मचारियों के लिए स्किल कॉउसिल फार ग्रीन जाब्स (एससीजीजे) के सहयोग से 35 घंटे का रिकोगनेशन प्रायर लर्निंग (आरपीएल) प्रशिक्षण प्रदान करता है। 02 अक्टूबर, 2018 से 30.06.2019 के दौरान 6792 सफाई कर्मचारियों को ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इन प्रशिक्षण शिविरों में सफाई कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क और जेकेट से युक्त सुरक्षा किट वितरित की गई हैं।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम सीवरों तथा सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित सफाई के संबंध में इंजीनियरों, सफाई निरीक्षकों, सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए नगर पालिकाओं में कार्यशालाएं आयोजित करता है और सुरक्षा यंत्र/उपकरण प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं की बाध्यता के संबंध में एमएस अधिनियम, 2013 तथा एमएस नियमावली, 2013 के उपबंधों के बारे में जागरुकता भी फैलाता है तथा सुरक्षा संबंधी सावधानियां भी सुनिश्चित करता है। 02 अक्टूबर, 2018 से 26 जून, 2019 तक 345 ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

एनएसकेएफडीसी मैनुअल स्केवेंजरों, सफाई कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उनकी बस्तियों में स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन भी करता है जिनमें विशेषज्ञ सेवाओं सहित चिकित्सा जांच की जाती है और निःशुल्क दवाइयां प्रदान की जाती हैं। 2017-18 और 2018-19 के दौरान, ऐसे 64 कैंपों का आयोजन किया गया था।

(ङ) और (च): सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए नियुक्त व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एमएस नियमावली, 2013 के उपबंधों का पालन करें।

*****

अनुबंध

सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के संबंध में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2502 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

30.06.2019 तक राज्यों द्वारा सूचित किए गए सीवर/सेप्टिक टैंकों में व्यक्तियों की मृत्यु होने के मामलों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	अभिज्ञात/सूचित किए गए मामलों की संख्या	लंबित मुआवजा	अदा किया गया मुआवजा	
				प्रत्येक को 10 लाख रुपए का पूरा मुआवजा	आंशिक मुआवजा
1	आंध्र प्रदेश	8	0	8	0
2	छत्तीसगढ़	4	2	0	2
3	चंडीगढ़	4	0	4	0
4	दिल्ली	28	3	25	0
5	गुजरात	131	53	69	9
6	हरियाणा	51	1	44	6
7	कर्नाटक	75	7	68	0
8	केरल	12	10	0	2
9	पंजाब	30	0	30	0
10	राजस्थान	33	5	15	13
11	तमिलनाडु	144	3	141	0
12	तेलंगाना	2	0	2	0
13	उत्तर प्रदेश	71	22	25	24
14	उत्तराखंड	9	6	1	2
15	पश्चिम बंगाल	18	5	13	0
	कुल	**620**	**117**	**445**	**58**